राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(1)नविवि/सवाई माधोपुर/2015

जयपुर, दिनांक 22 JUN 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 व साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.11(1)नविवि/सवाई माधोपुर/2015 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा सवाई माधोपुर के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2035 का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर द्वारा मास्टर प्लान की सडक के अलाइनमेंट के संबंध में लिए गए निर्णय के क्रम में सवाई माधोपुर मास्टर प्लान–2035 के प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया गया है कि सवाई माधोपुर के नगरीय क्षेत्र हेतु अनुमोदित मास्टर प्लान–2035 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त सवाई माधोपुर मास्टर प्लान–2035 में किए गए संशोधनों का अवलोकन नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।

–2,00,000–22

9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .06.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम